

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3649/2007

URN: CMA / 5854U / 2007

Bajrang Singh son of Shri Mohan Singh, aged 53 years, resident of village and post Beelwadi Tehsil Virat Nagar District Jaipur (Raj.)

----Claimant-Appellant

Versus

1. Vijendra Singh son of Late Shri Ratan Singh Rathaur, resident of House No. 486, Ladi Walon Ki Bagichi, Ghat Gate, Jaipur and at present resident of Near Fort, Virat Nagar District Jaipur (Raj.)
2. Bahadur Gurjar son of Shri Chhaju Ram Gurjar, resident of Bas Udai Singh Post Beelwadi, Tehsil Virat Nagar District Jaipur (Raj.)
3. The New India Assurance Company Limited, Regional Office, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur (Raj.) through Regional Manager.

----Non-Claimants-Respondent

For Appellant(s) : Mr. Sandeep Mathur, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Lokesh Atrey, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

15/07/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, शाहपुरा जिला जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-462/2004, बजरंग सिंह बनाम विजेन्द्र सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 9,00,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने

हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को कुल **2,27,521/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 7 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय 3,006/- रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी डाक विभाग में डाकपाल के पद पर सरकारी नौकरी कर 3,300/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। दुर्घटना में अपीलार्थी के हाथ व पैर में अस्थिभंग तथा शरीर के अन्य भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई है, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 25.50 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि स्वीकृत रूप से अपीलार्थी वक्त घटना पोस्ट मैन होने के कारण सरकारी कर्मचारी था, जिसे भविष्य में होने वाली आय की कोई क्षति नहीं हुई है। अतः अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 03.05.2004 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को डाक विभाग में डाकपाल के पद पर सरकारी नौकरी कर 3,300/- रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त

कर आय अर्जित करना बताया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा स्वयं का वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-28 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार उसका अप्रैल, 2004 में मासिक वेतन 3,006/- रुपये प्राप्त होना अंकित है। उक्त वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय 3,006/- रुपये निर्धारित कर अपीलार्थी को कारित 25.50 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर उसकी आय 766.53/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित कर अपीलार्थी की 50 वर्ष की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 13 के गुणक का प्रयोग कर अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षति की मद में **कुल 1,19,578/- रुपये** की राशि दिलवायी गयी है, जबकि अपीलार्थी को राजकीय कर्मचारी होने के कारण भविष्य में होने वाली आय में, दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप, कोई क्षति की संभावना नहीं है। अतः भविष्य में होने वाली आय की क्षति की मद में अपीलार्थी को कोई हानि होना हम नहीं पाते हैं।

7. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर पर कुल 25.50 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता होना पाया गया है, जिसकी पुष्टि अपीलार्थी के स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-12 से होती है, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 25,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो कम है। अपीलार्थी राजकीय सेवा में कार्यरत है तथा राजकीय कर्मचारियों को स्थायी निर्योग्यता कारित होने के फलस्वरूप शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में, भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में, पौष्टिक आहार की मद में व अन्य मदों में क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Nargis Siddiqui Vs. Oriental Insurance Co. Ltd. & Ors. (@ Special Leave Petition (Civil) No. 2578/2016)** decided on 24.04.2026 के मामले में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"6. Upon appeal by the Respondent-Insurance Company, the High Court maintained the findings on negligence but erroneously set aside the compensation for loss of future earnings. The High Court reasoned that since the appellant was a

government employee and had continued in service without a reduction in salary or removal from her post, she had suffered no actual loss of income.

7. The appellant is a teacher. A 39.07% permanent disability, which restricts her ability to stand for long hours, sit cross-legged, or move freely, has a direct and deleterious impact on her professional efficiency and career advancement. While her current salary may be protected by government service rules, her "earning capacity" in the open market and her eligibility for promotions and seniority-linked benefits have been severely compromised.

8. We have heard the learned counsel for the parties and perused the material on record. While the base monthly income of ₹6,230/- as determined by both the courts below is maintained, we find that the High Court failed to adequately compensate the appellant for the profound impact of a 39.07% permanent disability on her quality of life and physical well-being. Even in cases where pecuniary loss of income is not immediately evident due to continued employment, the non-pecuniary losses—specifically the physical trauma, mental agony, and the permanent loss of amenities—must be assessed with greater sensitivity to reflect "just compensation."

9. In view of the severity of the fractures and the resultant shortening of the limb, we find it appropriate to modify the compensation by enhancing the non-pecuniary heads to address the appellant's lifelong suffering.

10. Hence, the final compensation is re-determined and awarded as per the chart mentioned below:"

Sr. Nos.	Heads	Awarded Amount	Cases
1	Medical Expenses	Rs. 2136/-	
2	Special Diet & Transportation	Rs. 28,010/-	<i>Sidram v. Divisional Manager, United India Insurance Ltd. (2023) 3 SCC 439 Para 89 and 111</i>
3	Pain And Suffering	Rs. 5,00,000/-	<i>K.S. Muralidhar v. R. Subbulakshmi and Anr. 2024 SCC Online SC 3385 Para 13 and 14</i>

4	Loss of Happiness & Amenities	Rs. 3,50,000/-	<i>Raj Kumar v. Ajay Kumar (2011) 1 SCC 343 Para 6</i>
5	Loss of Income during treatment	Rs. 32,740/-	
	Total	Rs. 9,12,886/-	

8. चूंकि हस्तगत मामले में भी अपीलार्थी राजकीय कर्मचारी है तथा वर्तमान में कार्यरत है, जिसको प्रतिदिन नौकरी पर जाना होगा, जिसे उसकी स्थायी निर्योग्यता के कारण अत्यंत पीड़ा व असुविधा होगी, ऐसी स्थिति में हम, शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 2,00,000 /— रुपये तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में 2,00,000 /— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को 19 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 9,500 /— रुपये, पांच गंभीर चोटों की मद में 25,000 /— रुपये तथा मेडिकल बिलों की मद में 33,208 /— रुपये, पी.डी. रसीद की मद में 235 /— रुपये की राशि दिलवाई गई है, अतः उक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।
10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को पौष्टिक आहार व परिवहन की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अतः हम अपीलार्थी को उक्त दोनों मदों में संयुक्त रूप से 25,000 /— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के हुए 3 ऑपरेशन हेतु 15,000 /— रुपये की राशि दिलवायी गयी है, जिसे संशोधित करते हुए हम अपीलार्थी को 10,000 /— रुपये प्रति ऑपरेशन की दर से कुल 30,000 /— रुपये की राशि शल्य चिकित्सा की मद में दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
12. उक्तानुसार अपीलार्थी / क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम संख्या	शीर्ष / मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	2,00,000 /— रुपये
2.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी की मद में	2,00,000 /— रुपये
3.	19 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	9,500 /— रुपये

4.	पांच गंभीर चोटों की मद में	25,000 /— रुपये
5.	मेडिकल बिलों की मद में	33,208 /— रुपये
6.	पी.डी. रसीद की मद में	235 /— रुपये
7.	पौष्टिक आहार तथा परिवहन व यातायात की मद में	25,000 /— रुपये
8.	शल्य चिकित्सा की मद में	30,000 /— रुपये
9.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	5,22,943 /— रुपये
10.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	2,27,521 /— रुपये
11.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	2,95,422 /— रुपये

13. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **2,27,521 /— रुपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **5,22,943 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

14. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

15. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

16. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

17. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J